

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)/(सामान्य)डीएलबी/17/3806

जयपुर, दिनांक: 29/08/2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी कल्याण योजना के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को शिविर में निष्पादित करने में आ रही कठिनाईयों के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रेषित है:-

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर के दौरान उठाये गए बिन्दुओं का मार्गदर्शन

क्र. सं.	नगरीय निकाय	प्रश्न	विभागीय मार्गदर्शन
1	नापासर	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिविर में किन-किन बिन्दुओं पर कार्य किया जावे। 2. कच्ची बस्ती का सर्वे नहीं हुआ है। 3. शहर का मास्टर प्लान बना हुआ नहीं है। 4. पंचायत नापासर की भूमि सम्बन्धी रिकार्ड पंचायत समिति से प्राप्त नहीं हुआ है। 5. एम्पावर्ड कमेटी में ड्रॉफ्ट्समैन सदस्य होता है किन्तु नगरपालिका में ड्रॉफ्ट्समैन नहीं है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिविर में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.17 में वर्णित सभी कार्य किये जाने हैं। 2. कच्ची बस्ती का सर्वे कराने के लिये जिला कलेक्टर को पत्र जारी करे कि कलेक्टर व नगरपालिका कर्मचारियों की सयुक्त टीम बनाकर सर्वे करवाया जावे। 3. शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिये जिला नगर नियोजन कार्यालय व नगर नियोजन विभाग को पत्र भिजवाया जावे। 4. पंचायत नापासर की भूमियों सम्बन्धित रिकार्ड नगरपालिका को सुपुर्द कराने हेतु पंचायत समिति व जिला कलेक्टर को पत्र भिजवाया जावे तथा व्यक्तिगत सम्पर्क करे। 5. एम्पावर्ड कमेटी का सदस्य ड्रॉफ्ट्समैन नहीं है। आदेश दिनांक 25.04.17 एवं दिनांक 22.05.17 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी गठित है। कोई एक सदस्य नहीं होने पर अन्य सदस्यों के आधार पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन मानकर नियमानुसार कार्य निष्पादित किये जावे।
2	अनूपगढ़	<ol style="list-style-type: none"> 1. एक भूमि का नक्शा नगर नियोजक विभाग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत करवाया था, लेकिन 90(ए) के आदेश त्रुटिदश आवासीय जारी कर दिये, जिसे संशोधन करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जावे? 2. पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन की पत्रावली पर अध्यक्ष निर्णय नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या अधिशाषी अधिकारी राशि जमा कर लीज डीड निष्पादित कर सकते हैं ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में नगर नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट लेकर एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति प्राप्त कर 90-ए के संशोधित आदेश जारी करें। 2. भूखण्ड आवंटन के अधिकार नगरपालिका मंडल में निहित है, जिसके अधिकार अभियान में एम्पावर्ड कमेटी को प्रदत्त हैं। अतः प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी में रखा जाकर सर्वसम्मति से निर्णयोपरान्त निस्तारित किया जावे।

3	संगरिया	विभागीय आदेश दिनांक 08.02.17 पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.17 द्वारा रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में क्या मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि पर 90-ए की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है?	प्रचलित मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि की 90-ए की कार्यवाही करने में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.01.17 व दिनांक 22.05.17 बाधक नहीं है।
4	छापर	प्रशासन शहरों के सग अभियान-2012 में कबोशुदा आवासीय भूखण्ड के कुछ लंबित आवेदन पत्रों पर सड़क की चौड़ाई, भवन विनियम की शर्तें आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है या अभियान 2012 के नियमों के अंतर्गत ? जबकि ऐसे एक मामले में पूर्व अभियान के दौरान आशिक राशि भी जमा है।	प्रशासन शहरों के सग अभियान-2012 के ऐसे लंबित आवेदन पत्रों का मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जावे तथा ऐसे किसी प्रकरण में पूर्व में आशिक राशि जमा है और वर्तमान अभियान में एम्पावर्ड कमेटी स्वीकृत करती है तो ऐसी जमा राशि का समायोजन करते हुए निस्तारित किया जावे अन्यथा मूल जमा राशि आवेदक को लौटाये जाने की कार्यवाही एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति प्राप्त कर की जावे।
5	झालावाड	निलामी/आवटन से क्रयशुदा भूखण्डों पर भूखण्डधारी द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करवाया गया है तो ऐसे मामलों में निर्माण अवधि बढ़ाई जा सकती है या नहीं ?	ऐसे प्रकरणों में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 13.07.17 से निर्माण अवधि दिनांक 31.03.18 तक बढ़ाई जा चुकी है।
6	रामगंजमण्डली	कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी का आवासीय ले-आउट प्लान, सुओमोदा ले-आउट प्लान समिति द्वारा वर्ष 2003 एवं 2005 में स्वीकृत किया जिसमें खातेदार द्वारा बेचानशुदा एवं निर्मित मकानों के भूखण्डों को आई.सी. में दर्शित कर दिया। इस कारण ऐसे भूखण्डों का नियमन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर में ऐसे आई.सी. क्षेत्र पर काबिज व निवासरत भूखण्डधारी पट्टे की मांग कर रहे हैं।	ऐसे मामलों के ले-आउट प्लान में खातेदार द्वारा बेचानशुदा एवं निर्मित व निवासरत भूखण्डों के क्षेत्र को प्लान में प्लॉटिंग एरिया में सम्मिलित करने के लिये क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी राय प्राप्त कर ले-आउट प्लान को संशोधित करने हेतु ले-आउट प्लान समिति में रखा जावे तथा ले-आउट प्लान समिति के निर्णयोपरान्त प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी में रखा जावे।
7	नैनवा	कालबेलिया परिवारों को बसाने के लिये जिला कलक्टर ने भूमि खसरा नं. 661 में से पांच बीघा भूमि का आवंटन किया था लेकिन मास्टर प्लान : 2031 में उक्त भूमि राज्य राजमार्ग 34 के मार्गाधिकार 200 फीट तथा वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियंत्रण पट्टे के क्षेत्र में दर्शित है। अतः कालबेलिया परिवारों को 50 वर्गगज के भूखण्ड नि:शुल्क आवंटित करने हेतु इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है।	कालबेलिया व धूमन्तु परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन करने का कार्य व्यापक जनहित एवं मरीब परिवारों के हित का प्रकरण है। इसलिये इस आधार पर उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय करने का प्रस्ताव एम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदित करवा कर राज्य सरकार को वरिष्ठ नगर नियोजक की तकनीकी राय के साथ स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।

8	कोटा	<p>1. ग्राम पंचायतों का रिकार्ड निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में स्टेटग्रान्ट के पट्टे जारी करते समय यह तथ्य पता नहीं चलता कि ऐसे प्रकरण का पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया हुआ है अथवा नहीं। अनेक मामलों में स्टेटग्रान्ट एक्ट के आवेदन के साथ पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत भी हुई है लेकिन ऐसे पंचायती पट्टों का रिकार्ड निगम में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में क्या स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत प्राप्त आवेदन पर पट्टे जारी किये जा सकते हैं</p> <p>2. स्टेटग्रान्ट एक्ट के अनेक आवेदन पत्रों में आवेदक स्वयं एवं अपने पुत्रों एवं पत्नी एवं परिवार के सदस्यों के नाम आवेदन कर रहे हैं जिनमें 1990/1991 से पूर्व के कब्जों के संबंध में मतदाता सूची ही प्रस्तुत की जा रही है। क्योंकि पुत्रों/अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं तो क्या ऐसे प्रकरणों में पट्टे जारी किये जा सकते हैं।</p> <p>3. अनेक मामलों में गैरमुमकिन आबादी के आवेदक के दो मकान पृथक-पृथक हैं जबकि दोनों मकानों का पट्टा एक ही आवेदक द्वारा चाहा जा रहा है।</p>	<p>1. सर्व प्रथम ऐसे पंचायतों का रिकार्ड पंचायत समिति से प्राप्त करने का प्रयास किया जावे। यह नहीं हो सके तो ऐसे क्षेत्रों में स्टेटग्रान्ट एक्ट के प्रस्तुत आवेदन पत्रों तथा पंचायत के पट्टों की प्रति के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर सार्वजनिक आपत्ति सूचना जारी की जावे तथा कोई आपत्ति/दावा प्राप्त होता है तो उसके तथ्यों की जांच की जावे। कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होने पर आवेदन पत्र के कब्जे एवं कब्जा सबूतों की विधिसम्मत जांच करने के उपरान्त प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जावे तथा एम्पावर्ड कमेटी स्टेट ग्रान्ट परिपत्रों/आदेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्णय करे।</p> <p>2. आवेदक द्वारा स्वयं एवं अपने पुत्रों/पत्नी/पारिवारिक सदस्यों के नाम पृथक-पृथक स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे चाहे जाने की स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर दिनांक 22.06.17 में दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p> <p>3. गैर मुमकिन आबादी पर एक ही आवेदक के नाम से दो भूखण्डों का स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने का प्रावधान नहीं है।</p>
9	लाखेरी	<p>शहर में अतिक्रमण नियमन एवं कृषि भूमि के पट्टे जारी करने हेतु मास्टर प्लान के नियमों की पालना की जावे या सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोडत्र सीमा की पालना की जावे।</p>	<p>शहर का मास्टर प्लान बनाने समय सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के मार्गाधिकार के तथ्य को मध्य नजर रखते हुए ही मास्टर प्लान में सड़कों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है, अतः प्रचलित मास्टर प्लान के अनुसार ही नियमन/पट्टे जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है।</p>
10	इन्द्रगढ़	<p>रणवीर सिंह ने स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया जो उमराव सिंह व उनकी पत्नी वेदप्रिया का दोहित्र है। उमराव सिंह ने सादा कागज पर दसीयतनामा कर रखा है तथा पत्नी वेदप्रिया द्वारा रणवीर सिंह के नाम रजिस्टर्ड गोदनामा कर रखा है। क्या रणवीर सिंह के नाम पट्टा दिया</p>	<p>विभागीय आदेश दिनांक 22.06.17 में प्रावधान है कि मुखिया जीवित है और अन्य वारिस्तान बालिग है तो पट्टा दिया जा सकता है। प्रकरण में रजिस्टर्ड गोदनामा होने के तथ्य की जांच कर उक्त आदेश दिनांक 22.06.17 के अंतर्गत एम्पावर्ड कमेटी की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।</p>

		जा सकता है ?	
11	केशोरायपाटन	वर्ष 2012 में कोटा-लाखेरी मेनरोड के भूखण्डों के पट्टे रोड के मध्य से 50 फीट छोड़ कर जारी किये जा चुके हैं। योजना में 95 प्रतिशत पट्टे जारी हो चुके हैं। अब मास्टर प्लान, 2031 में उक्त कोटा-लाखेरी मेगा हाईवे रोड 60 मीटर का है जो रोड से 30 मीटर अर्थात् 100 फीट छोड़ कर पट्टे देने का प्रावधान है। पट्टे जारी किये जा चुके हैं। उनके बीच में एक-दो भूखण्ड हैं जिनके पट्टे रोष हैं तो क्या पट्टे पूर्व की भांति ही 50 फीट छोड़ कर जारी किये जा सकते हैं।	वर्ष 2012 में उक्त कोटा-लाखेरी मेनरोड पर 50 फीट दूरी छोड़ कर बनायी गयी योजना यदि सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृत है तो ऐसी विधिसम्मत स्वीकृत योजना मास्टर प्लान में कमिटेन्ट लाइबिलिटी के रूप में मान्य है। अतः इस प्रावधान के अंतर्गत परीक्षण कर एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की सकती है।
12	मुकुन्दगढ़	दिनांक 17.06.99 से पूर्व अकृषि उपयोग लेने पर भूमि की 90-बी सुओमोटो कर दी गई लेकिन तहसीलदार द्वारा राजश्व रिकार्ड में भूमि का नामान्तरण नगरपालिका के नाम नहीं किया गया है।	प्रकरण में 90-बी करने के जारी आदेश की प्रति तहसीलदार/ उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर को भूमि का नामान्तरण नगरपालिका के नाम करने हेतु लिखा जावे तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में नामान्तरण करने हेतु जिला कलक्टर से आग्रह किया जावे।
13	नवलगढ़	स्टेटग्रान्ट एक्ट के आदेश दिनांक 15.09.83 में नजूल भूमि पर पट्टा देने का प्रावधान है। इसके बाद आदेश दिनांक 25.04.17 में प्रावधान किया है कि स्टेटग्रान्ट के पट्टे नजूल भूमि/सवाई चक/ कस्टेडियन भूमि पर दिये जा सकेंगे। दोनों ही आदेशों में भूमि की किस्म के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।	इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1673 दिनांक 17.05.17 जारी किये जा चुके हैं। जिसके अनुरूप प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है।
14	डेगाना	1. नगरपालिका में रियासतकालीन राजशाही पट्टों के आधार पर नामान्तरण/एकीकरण/भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पत्रावलियां प्राप्त हो रही हैं। राजशाही पट्टों का पालिका में कोई रिकार्ड नहीं है। ऐसी पत्रावलियों पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। 2. नगरपालिका गठन से पूर्व प्रचलित ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गए अनेक पट्टों का पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे पट्टों की वैधता की जांच किस प्रकार की जा सकती है जबकि इनका रिकार्ड नगरपालिका को सुपुर्द भी नहीं हुआ है। ऐसे पट्टों के पंजीयन के पंजीयन	1. ऐसे रियासतकालीन पट्टों की प्रमाणिकता के संबंध में राज्य अभिलेखागार विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी एवं प्रति प्राप्त की जा सकती है। 2. ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गए ऐसे पट्टों का रिकार्ड पंचायत समिति से प्राप्त किया जावे। इसके लिये जिला कलक्टर कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा कर अपेक्षित रिकार्ड प्राप्त करे। पंचायत द्वारा जारी किये गए विधिसम्मत पट्टों का पंजीयन विभागीय आदेश दिनांक 25.04.17 के अनुसार कराया जा सकता है जिसका उल्लेख बिन्दु सं. 17 में विस्तार से किया गया है।

		बाबत यथा कार्यवाही की जा सकती है।	
15	गली	मास्टर प्लान 2023 में जिन क्षेत्रों का व्यवसायिक भू-उपयोग दर्शाया है उन क्षेत्रों में निर्मित आवासीय भवनों हेतु स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टों के लिये आवेदन किये जा रहे हैं अतः ऐसे आवेदनों का निस्तारण किस प्रकार संभव है।	मास्टर प्लान के व्यवसायिक भू-उपयोग क्षेत्र में आवासीय उपयोग अनुज्ञेय है। ऐसा व्यवसायिक भू-उपयोग क्षेत्र यदि स्कीम ऐरिया है तो स्टेटग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे नहीं दिये जा सकते।
16	बालोतरा	एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पैराफेरी बैल्ट में पट्टे जारी नहीं करने के लिये गए निर्णय अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अनुसार मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये गए हैं। अतः पैराफेरी बैल्ट में पट्टे जारी किये जावे अथवा नहीं ?	पैराफेरी बैल्ट में यदि कोई आवासीय योजना माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 से पूर्व भूमि का आवासीय उपयोग किया जा कर आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किया जा कर विधिसम्मत स्वीकृत है तो ऐसी योजना में शेष आवासीय पट्टे जारी किये जा सकते हैं।
17	छोटी सादडी	1. कच्ची बस्ती नियमन के मामले में 2004 के सर्वे अनुसार ही नियमन करने के निर्देश हैं किन्तु नगरपालिका में वर्ष 2004 से इसके पूर्व की कोई सर्वे सूची उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2009 में आई. एच.एस.डी.पी. योजना में कराये गए सर्वे की सूची उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे किस प्रकार जारी किये जा सकते हैं। 2. पालिका द्वारा निलामी से विक्रयशुदा अनेक भूखण्डों के पट्टों का पंजीयन नहीं कराया गया है। अब पंजीयन कराने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाये।	1. कच्ची बस्ती का वर्ष 2004 का सर्वे सभी शहरों में राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर के माध्यम से करवाया गया था। यदि सर्वे सूची नगरपालिका में उपलब्ध नहीं है तो जिला कलक्टर कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 2. जिन पट्टों का पंजीयन नहीं हुआ है, उनके लिये विभागीय आदेश क्रमांक 1516-30 दिनांक 25.04.17 में निर्देश दिये हुए हैं कि ऐसे पट्टा वितरेख को दिनांक 31.12.17 तक पुनः निष्पादित कर पुनर्विध (रिवेन्लीडेटेड) किया जा कर पंजीयन करवाया जा सकेगा, ताकि राज्य के राजस्व में पंजीयन से आय प्राप्त हो सके तथा पट्टेधारी को राहत प्राप्त हो सके।
18	रावतभाटा	1. जिन कब्जाधारियों के अपने कब्जे के अलावा नगरपालिका की आवासीय कॉलोनियों में आवंटित भूखण्ड उनके नाम पर या उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम पर होने पर भी उनके दिनांक 15.08.09 से पूर्व के निर्मित आवासीय कब्जों की भूमि के नियमन में छूट/शिथिलता प्रदान करायी जावे। 2. रावतभाटा का मास्टर	1. ऐसे कब्जों के नियमन के विभागीय परिपत्र दिनांक 01.01.02 में स्पष्ट प्रावधान है कि अतिक्रमी व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर सम्बन्धित निकाय क्षेत्र में कोई अन्य आवास अथवा आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिये। 2. स्वायत्त शासन विभाग के जारी आदेश क्रमांक 18656 दिनांक 25.05.17 एवं आदेश क्रमांक 1516-30 दिनांक 25.04.17 के बिन्दु सं. 3 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 15.08.09 तक 300 वर्गगज तक के सिवायचक/ राजकीय

	<p>प्लान 2009-2031 है, जबकि कब्जों का नियमन दिनांक 15.08.09 से पूर्व के किये जाने हैं। इसलिये मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग तथा सड़क चौड़ाई के मापदण्डों के अनुरूप नियमन की कार्यवाही में छूट प्रदान करायी जावे।</p> <p>3. मास्टर प्लान में आंतरिक सड़कों की चौड़ाई का कोई मापदण्ड उल्लेखित नहीं है। ऐसी स्थिति में 30 फीट चौड़ाई की बाध्यता में छूट प्रदान करायी जावे।</p> <p>4. शहर के घनी आबादी क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत आवासीय भवनों को भवन विनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियमन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के समय के अतिक्रमणों पर भवन विनियम 2000 के मापदण्ड लागू नहीं होने से ऐसे कब्जों/भवनों के नियमन हेतु मार्गदर्शन दिया जाए।</p>	<p>भूमि पर किये गए अनाधिकृत निर्माण का नियमन किया जा सकता है।</p> <p>3. विभागीय आदेश क्रमांक 1516-30 दिनांक 25.04.17 के विन्दु सं.0 1 में स्पष्ट किया जा चुका है कि सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होना आवश्यक है।</p> <p>4. शहर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में अवस्थित पुराने कब्जों के नियमन के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक 1673 दिनांक 17.05.17 जारी किया गया है। जिसके प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे।</p>
19	<p>उदयपुर</p> <p>श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसायटी के लिक्विडेशन में आने से लेकर दिनांक 26.03.04 (नगर विकास न्यास एवं भोपाल कोऑपरेटिव सोसायटी के एम.ओ.यू.) से पूर्व जारी पट्टों को या जिन मकान/दुकान मालिकों द्वारा चुकता रकम जमा करवाई हुई है के निवासियों को नगर विकास न्यास एवं नगरनिगम उदयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। इससे राजस्व हानि हो रही है। ऐसे निवासियों को पट्टा जारी करने एवं भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था करायी जावे।</p>	<p>प्रकरण में नगर विकास न्यास उदयपुर एवं भोपाल को-ऑपरेटिव सोसायटी के मध्य दिनांक 26.03.04 को एम.ओ.यू. निष्पादित होना बताया गया है। चूंकि नगर विकास न्यास राज्य सरकार की शहरी निकाय है जिसके द्वारा किया गया एम.ओ.यू. मान्य माना जावेगा। अतः उक्त एम.ओ.यू. में दिनांक 26.03.04 से पूर्व के जारी पट्टों के संबंध में जो शर्त निर्धारित है, उनके अनुरूप ऐसे प्रकरणों का परीक्षण किया जा कर नगरनिगम की एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विस्तृत विवरण के साथ रखा जावे तथा एम्पावर्ड कमेटी ऐसे प्रकरणों पर राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधान एवं प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर युक्तियुक्त निर्णय करे।</p>

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल (पीआईएल) संख्या 1554/2004 श्री गुलाग कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 12.01.2017 को पारित निर्णय में प्रदान किये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

२७



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

दिनांक 29/08/2017

क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)(सामान्य)/डीएलबी/17/3807-4198

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिराधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
07. सुरक्षित फ़त्रावली



(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

सं. व. म. व. सं. व. म. व.